COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(147)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र० कैम्प भोपाल ।

नि०-2866-PBR-16 निगरानी क्र ———/16

Entry

हुकुम चन्द 2॥ हरगोविन्द -3-औमहरि

4-कैलाश नारायण -5- गब्बर सिंह, 6- नारायण

सिंह सभी । से 6 वयस्क सभी पुत्र गण स्व. श्री

(133)

पूरन सिंह कोली कृषक ग्राम कुल्होर तहसील

बैरसिया जिला भोपाल म.प्र. ——— आवेदकगण/
पुनरीक्षणकर्ता,प्रथ

विरुद्ध

नन्दराम आयु लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व.

श्री धानसिंह निवासी ग्राम कुल्होर तहसील

बैरसिया जिला भोपाल ।

2॥ मेवा बाई पुत्री स्व. धनसिंह

पत्नी शंकर लाल आयु 40 साल निवासी

ग्राम छत्री तहसील श्यामपुर जिला सीहोर ——— अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

NF 1-9-16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता गण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्र 37/अपील/14-15 में दिनांक 30-6-16 को धारा 05 अवधि विधान के आवेदन पर पारित आदेश विरुद्ध से परिवेदित होकर निम्नलिखित आधार एवं तथ्यों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:-

1 यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है व निरस्त किया जाये।

यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का विधिवत अवलोकन किये बिना आदेश पारित कर एवं धारा 05

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2866-पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदक की ओर से श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री जगदीश जैन, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	